न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 07/2021 अपील

GCMS No. - 2021/375

श्री ललीत प्रकाश शारदा पुत्र श्री श्रीनिवासजी शारदा जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–अपीलान्ट

//बनाम//

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्री रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्रजी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 249 न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा

निर्णय दिनांक 13.04.2012

उपस्थित :– 1–श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– तहसीलदार निम्बाहेड़ा – रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 स्वयं उपस्थित
3– रमेशचन्द्र मीणा –रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 02 स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक :– 11.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम पीरखेड़ा पटवार हल्का फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 105/1 रकबा 1 बीघा 15 जिसके नवीन सेटलमेंट अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.4400 हैक्टेयर आबादी [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

2. रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 रमेशचन्द्र मीणा ने माननीय न्यायालय हाजा में अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी नम्बर 105/1 में से रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 4426.24 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्र0सं0 56/2010 भूमि रूपान्तरण में पारित आदेश दिनांक 24.09.2010 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने का आदेश माननीय न्यायालय आप ने फरमाया था। जिसकी प्रति श्रीमान् के अवलोकनार्थ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

3. रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 रमेशचन्द्र ने उपरोक्त औद्योगिक रूपान्तरित भूमि 4426.24 वर्गमीटर मौजा पीरखेड़ा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2011 पंजीकृत दिनांक 29.03.2011 से अपीलान्ट को विक्रीत कर कब्जा सौंप दिया। वास्ते अवलोकनार्थ विक्रय पत्र की प्रति पेश है। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 के नाम पर रुपान्तरण उक्त आराजी का होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 24.09.2010 के अनुसार नामान्तरकरण का अंकन औद्योगिक प्रयोजनार्थ का नहीं किया एवं रिपोर्ट भी आई.एल.आर. की औद्योगिक के बजाय आवासीय की गई एवं श्रीमान् के आदेश के उपरान्त भी औद्योगिक के बजाय नामान्तरकरण आवासीय रूपान्तरण का खोल दिया जो की तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट को नामान्तरकरण जो आवासीय, औद्योगिक प्रयोजनार्थ के बजाय रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 के नाम का खोला, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22/11/2021 को नामान्तरकरण की नकल लेने से हुई इसके बाद अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट को अवासीय के बजाय औद्योगिक उक्त नामान्तरकरण संख्या 249 ग्राम पीरखेड़ा दिनांक 13.04.2012 करने की कहा, परन्तु बार बार कहने पर भी रेस्पोन्डेन्ट ने नहीं कराया। इसलिए अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अपील हाजा पेश करनी पड़ रही है। अपीलान्ट उपरोक्त औद्योगिक रूपान्तरित भूमि का सद्भाविक क्रेता है जो पंजीकृत विक्रय पत्र से हैं, इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 249 को निरस्त करा कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि 4426.24 वर्गमीटर भूमि तकरीबन 0.4400 हैक्टेयर भूमि जो आराजी नम्बर 2 मीन मौजा पीरखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा का भू–भाग को अपीलान्ट के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं बाद नामान्तरकरण अपीलान्ट राजस्व रेकार्ड में भी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी हैं।

4. अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 22.11.2021 को नामान्तरण की नकल रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय से लेने पर जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी ना ही उसको कोई सूचना दी गई थी, जानकारी नामान्तरकरण की खुलने की दिनांक 22.11.2021 को होने से जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। आवेदन पत्र तहत् दफा 5 कानून मियाद का पृथक से अपील के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

5. अपील प्रस्तुत कर निवेदन है की अपीलान्ट ..... स्वीकार की जाने की कृपा कर उपरोक्त नामान्तरण संख्या 249 दिनांक 13.04.2012 ग्राम पीरखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा को निरस्त फरमाया जाने की कृपा करावें एवं उपरोक्त वर्णित औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रेपोन्डेन्ट नम्बर 2 के बजाय अपीलान्ट के नाम पर दर्ज करने की कृपा करावें। खर्चा अपील अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट्स को दिलवाया जाने की कृपा करावें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोन्डेन्टस् को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र मीणा ने न्यायालय हाजा में स्वयं उपस्थित होकर अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया तथा अपील स्वीकार किये जाने में कोई अपत्ति नहीं होना जाहिर किया एवं रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 01 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा इसको लिपिकीय त्रुटि होना स्वीकार किया ।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्या में ग्राम पीरखेड़ा पटवार हल्का फाचरअहीरान की नामान्तरकरण संख्या 249 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 ग्राम पीरखेड़ा की खाता संख्या 58 की आराजी नम्बर 2 रकबा 0.4400 हैक्टेयर एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 ग्राम पीरखेड़ा की खाता संख्या 59 की आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.4400 हैक्टेयर की प्रति प्रस्तुत की है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की कर्न्वजन मिसल नम्बर 56 / 10 में दिनांक 24.09.2010 को जारी कन्वर्जन आदेश प्रति एवं विक्रय पत्र की प्रतियां पेश की है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 ग्राम पीरखेड़ा पटवार हल्का फाचर अहीरान की खाता संख्या 58 में आराजी नम्बर 2 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र मीणा सा0 सेगवा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की कर्न्वजन मिसल नम्बर 56 / 10 में दिनांक 24.09.10 को जारी कन्वर्जन आदेश अनुसार रेपोन्डेन्ट नम्बर 2 श्री रमेश पिता रामचन्द्र मीणा निवासी सेगवा ने ग्राम पीरखेड़ा ग्रा0प0 फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 105 / 1 मी0 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 4426.24 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2011 अनुसार रेपोन्डेन्ट नम्बर 2 रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र मीणा निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा ने उक्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अपीलान्ट श्री ललित प्रकाश शारदा पिता श्री श्रीनिवासजी शारदा जाति माहेश्वरी को विक्रय कर दी है। विक्रय पत्र में उक्त रूपान्तरित भूमि का औद्योगिक रूपान्तरित भूखण्ड के रूप में अंकन है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की कर्न्वजन मिसल नम्बर 56 / 10 में दिनांक 24.09.10 को जारी कन्वर्जन आदेश का नामान्तरण 249 द्वारा दिनांक 13.04.2012 को खोला गया जिसमें उक्त रूपान्तरत भूमि की किस्म औद्योगिक के बजाय आबादी कर दिया गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 अनुसार ग्राम पीरखेड़ा की खाता संख्या 5[illegible] आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि रेपोन्डे[illegible] जाति मीणा सा. सेगवा खातेदार के नाम द[illegible] है जिस[illegible] हैक्टेयर भूमि आबादी प्रयोजनार्थ एवं 0.0100 हैक्टे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। बहस में प्रकट तथ्यों एवं अपील मैमों में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दजस्तावेजों के

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (चित्तौ.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

अवलोकन से स्पष्ट है की उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की कर्न्वजन मिसल नम्बर 56 / 10 में दिनांक 24.09.2010 को जारी कन्वर्जन आदेश अनुसार रेपोन्डेन्ट नम्बर 2 श्री रमेश पिता रामचन्द्र मीणा निवासी सेगवा ने ग्राम पीरखेड़ा ग्रा0प0 फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 105 / 1 मी0 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 4426.24 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाई। उक्त रूपान्तरित भूमि को रेपोन्डेन्ट नम्बर 2 श्री रमेश पिता रामचन्द्र मीणा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2011 द्वारा अपीलान्ट को विक्रय कर दी। उक्त कर्न्वजन ओदश का नामान्तरण 249 द्वारा दिनांक 13.04.2012 को खोला गया जिसमें उक्त रूपान्तरत भूमि की किस्म औद्योगिक के बजाय आबादी कर दिया गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 ने भी अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया एवं वर्तमान जमाबन्दी में उक्त सुधार किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अपीलान्ट ने बताया की अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 22.11.2021 को नामान्तरण की नकल रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय से लेने पर जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी ना ही उसको कोई सूचना दी गई थी, जानकारी नामान्तरकरण की खुलने की दिनांक 22.11.2021 को होने से जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। आवेदन पत्र तहत् दफा 5 कानून मियाद का पृथक से अपील के साथ पेश है। अतः निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं किये जा सकने का अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कारण स्वीकार योग्य है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीरखेड़ा पटवार हल्का फाचरअहीरान का तहसीलदार निम्बाहेड़ा का नामान्तरण संख्या 249 निर्णय दिनांक 13.04.2012 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामान्तरण खोले जिसमें साबिक आराजी नम्बर 105 / 1 रकबा 1.15 बीघा जिसके वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–280 की खाता संख्या 59 की आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 0.4400 हैक्येर भूमि में आबादी प्रयोजनार्थ के बजाय औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज की जावें एवं राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर रिकार्ड से कम हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/23

रमेश सीरवी पुनाड़िया
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा